कार्यालय नगरपालिका परिषद् नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत कार्यालय की अद्यतन जानकारी

वर्ष 2016

इस अधिनियम मे	
अपने संगठन की विषिष्टियां,कृत्य और कर्तव्य	(क) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा भवनों को प्रकाषित करना। (ख) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा मल–नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों और जो सार्वजनिक उपभोग के लिए खुले हो, भले ही ऐसे स्थान परिषद में निहित हो या न हो, हानिकारक घासपात को हटाना और समस्त र्साजनिक न्यूसेंस का उपषमन करना। (ग) विष्ठा तथा कूडा करकट का व्ययन करना और विष्ठा तथा कूडा करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करना। (घ) आग बुझाना और आग लग जाने की दषा में जीवन एंव सम्पत्ति की रक्षा करना। (ड) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियमन या उपषमन करना। (च) सार्वजनिक पथों या स्थानों में से तथा ऐसे स्थलों में से, जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों, और जो सर्वसाधारण के उपभोग के लिए खुले हों, भले ही ऐसे स्थल परिषद में निहित हों या राज्य सरकार में निहित हों, बाधाओं तथा प्रक्षेपित भागों को हटाना। (छ) मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए स्थान अर्जित करना, उनका अनुरक्षण करना, उनमें तब्दीली तथा उनका विनियम करना। (ज) महामारी या अन्य अकल्पित आपात– स्थिति में मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए ऐसे विषेष उपाय करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस संबंध में निदेष देने के लिए सषक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किये जाएँ। (झ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना तथा अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरूद्धार करना। (ञ) सार्वजनिक पथों, पुलियों, नगरपालिका के सीमा–चिन्हों, मंडियों, हाटों, वधषलाओं, शौचालयों, संडासों, मूत्रालायें, नालियों, मल–नालियों, जल–निकास–संकर्मों, मलनाली से संबंधित संकर्मों, स्नानगृहों, धुलाई के स्थानों, पीने के पानी के नलों, तालाबों कुओं बॉधों तथा उसी प्रकार के अन्य संकर्मो का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना और उनका अनुरक्षण करना।

	(ट) कांजी हाउसों की स्थापना करना तथा उनका प्रबन्ध करना और जहॉ पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का सं.1) प्रवर्तन में हो वहॉ उस अधिनियम की धारा 4,5,6,7,12,14,17 तथा 19 के अधीन राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्य करना। (ठ) जल के वर्तमान प्रदाय के अपर्याप्त तथा अस्वास्थ्यकर होने के कारण निवासियों तथा घेरलू पशुओं के स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त जल प्रदाय या अतिरिक्त जल प्रदाय को जब तक ऐसा प्रदाय या अतिरिक्त प्रदाय युक्तियुक्त खर्च से प्राप्त किया जा सकता हो, प्राप्त करना और ऐसे जल का नियतकालिक रूप से सूक्ष्म परीक्षण करना। (ड) पथों तथा उद्यानों का नामकरण करना तथा मकानों को संख्यांकित करना। (ढ) जन्म, विवाह तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना। (ण) सार्वजनिक टीके लगाना। (त) किन्ही भी ऐसे बछडों, गायों या भैसों के लिए, जो पशु टीके (लिम्फ) के प्रदाय के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर अपेक्षित हों, उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना। (थ) पशुओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसे अन्तरालों से जो विहित किये जाएं, कृषि उपयोगी पशुओं की गणना। (द) ऐसे उपाय करना जो संक्रामक रोगों के पैदा होने या फैलने या उनकी पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिए अपक्षित हो। (ध) नगरपालिका के प्रषासन पर ऐसी वार्षिक रिर्पोट तैयार करना जैसी राज्य सरकार सामान्य या विषेष आदेष द्वारा उसे (रिपोर्ट को) प्रस्तुत करने के लिए परिषद से अपेक्षा करे। (न) ऐसे प्रकार के तथा ऐसी स्थिति में, जिसका कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाए, मजबूत सीमा चिन्हों का निर्माण करना जो नगरपालिका की सीमाओं या उनमें किसी परिवर्तन को परिनिष्चित करते हो। (प) परिषद के सफाई कर्मचारिवृन्द के लिए आवास गृहों का सनिर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना। (फ प्राथमिक शालाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना। **धारा 124.** (क) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरूद्धार करना, ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें पूर्व में निर्माण हुआ हो या नही– नए सार्वजनिक

	पथों का अभिन्यास करना तथा उस प्रयोजन के लिये भूमि अर्जित करना, जिसमें ऐसे मार्गो से संस्पर्शी भवन के लिये भू–खंड सम्मिलित होगें। (ख) सार्वजनिक पार्को, उद्यानों, खेल के मैदानों तथा खुले स्थानों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, पागलखानों, सभा भवनों, कार्यालयों, धर्मषालाओं, विश्रामगृहों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का सन्निर्माण करना, उनकी स्थापना करना या उनका अनुरक्षण करना। (ग) शैक्षणिक उद्देष्यों को अग्रसर करना। (घ) सडक के किनारों तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण तथा उनका अनुरक्षण करना। (ड) सार्वजनिक पथों तथा स्थानों पर जल छिडकना। (च) चौराहों, उद्यानों या सार्वजनिक समागम के अन्य स्थानों में संगीत की व्यवस्था करना। (छ) स्थानीय प्रयोजनों के लिए जनगणना करना और ऐसी जानकारी के हेतु, जिससे जन्म–मृत्यु संबंधी आंकडों का ठीक–ठीक रजिस्ट्रीकरण हो सके, पुरस्कार देना। (ञ) सर्वेक्षण करना। (झ) किसी वैतनिक या अवैतनिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को बनाये रखने के लिये आनुषंगिक वेतन तथा भत्ते, भाडे तथा अन्य खर्चे या ऐसे किन्ही भी खर्चो के किसी भाग का संदाय करना। (ज) ऐसे कुत्तों तथा सुअरों का विनाष या निरोध करना जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिति के अधीन विनाष किया जा सकता हो या जिन्हे निरोध में रखा जा सकता हो। (ट) इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट खतरनाक तथा घृणोत्पादक व्यापारों को चलाने के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना। (ठ) प्राइवेट परिसरों पर या उनके उपयोग के लिये उनका मलमूत्र परिषद के नियंत्रणाधीन मल–नाली में इकट्ठा करने तथा उसे बहाकर ले जाने के लिये पात्रों, फिटिगों, नलों तथा अन्य प्रकार के साधित्रों का, चाहे जो भी हो, प्रदाय निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना। (ड) मलमूत्र के व्ययन के लिये फार्म या कारखाना स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना।

	(ढ) नगरपालिका के कर्मचारियों के या उनके किसी वर्ग के तथा उनके आश्रित्रों के लिये किये जाने वाले कल्याण कार्यो की अभिवृद्धि करना। (ण) सफाई कर्मचारीवृन्द से भिन्न परिषद के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के लिये निवास स्थान की व्यवस्था करना। (त) निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिये स्वच्छ निवासगृह का निर्माण करना। (थ) पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों सहित शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालयों, औषधालयों या इसी प्रकार के संस्थाओं के, जो सार्वजनिक चिकित्सा सहायता प्रदान करती हो या सामाजिक कार्य में लगी हो या पूर्त प्रकृति की अन्य संस्थाओं के निर्माण, उनकी स्थापना या उनके अनुरक्षण हेतु अभिदाय करना। (द) चारागाह या चराई के स्थानों का अर्जन करना तथा उनका अनुरक्षण करना और डेरी फार्मो की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और अभिजनन सांड रखना तथा उनका भरण–पोषण करना। (ध) नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों के फायदे के लिए दुग्ध या दुग्ध के उत्पादों के प्रदाय, वितरण तथा प्रसंस्करण के लिए डेरियों या फार्मों की स्थापना करना। (न) विषेषतः गर्भिणी तथा स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों तथा अषक्तों के उपयोग के लिए मलाई युक्त या मलाई रहित दग्ध, संघनीकृत दुग्ध, वाष्पीकरण द्वारा नमीरहित किया गया दुग्ध, दुग्ध चूर्ण तथा कृत्रिम या सोयाबिन दुग्ध प्राप्त करना और निःषुल्क या कम मूल्य पर वितरित करना। (प) वासगृहों तथा भोजनालयों की व्यवस्था करना तथा उन्हें चलाना। (फ) भोजन–गृह, जैसे जलपान–गृह, चाय की दृकान, मिठाई की दुकान, उपाहार–गृह, कैफे, स्वल्पाहार गृह, होटल तथा ऐसे स्थान स्थापित करना तथा उन्हें चलाना जहॉ खाद्य तथा पेय पदार्थ दिए जाते हो।	